केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/21/00026
CICOM/R/P/20/00529

अपीलकर्ता : श्री श्रवण कुमार तंवर
पुत्र - श्री दानाराम तंवर
गांव - आसाखेड़ा, त0 - मण्डी डववाली
जिला - सिरसा, हरियाणा - 125101.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	17.11.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	15.12.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. असीजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.12.2020
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील प्राप्त होने की तिथि	11.02.2021
निर्णय की तारीख	24.02.2021

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 17.11.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित दिनांक 24.01.2020 की द्वितीय अपील पर की गई कार्यवाही की सूचना मांगी गई थी ।

प्रदान की गई सूचना

2. श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/P/20/00529 दिनांक 15.01.2021 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को निम्नलिखित सूचना प्रदान की गई:-

> 'आपने जो दूसरी अपील दायर की है वह आयोग में फाइल संख्या CIC/DOA&C/A/2020/105036, जिसका पंजीकरण 30.01.2020 को किया गया है, पर जानकारी मांगी है, इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाती है':-
>
> 'आयोग में मामलों की सुनवाई कालानुक्रमिक क्रम में होती है । तद्नुसार आपके मामले को नियत समय पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा । वर्तमान में, अक्टूबर 2018 में दर्ज मामले आईसी (वीएन) की रजिस्ट्री में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जा रहे हैं । सुनवाई की तारीख तय होने के बाद, दोनों पक्षों को नोटिस दिया जाता है जिसमें सुनवाई की तारीख और समय का विवरण, सुनवाई का स्थान आदि की जानकारी होती है । चूंकि आपके मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए अभी मामले का निपटान की जानकारी प्रदान करना मुश्किल है' ।

प्रथम अपील का आधार

3. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि " केन्द्रीय सूचना आयोग से दिनांक 17.11.2020 को सूचना मांगी थी जिसकी सूचना आज तक नही मिल है' तथा अनुरोध किया है कि सूचना दिलवाने का कष्ट करें ।

C. I. C./के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
26 FEB 2021
D. No..........
Initials..........

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 17.11.2020 का आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एवं निर्धारित अवधि के भीतर ही दिनांक 15.12.2020 को प्रेषित कर दी गई है, अत: इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुन: संलग्न है ।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 24, फरवरी, 2021.

मीना शर्मा 24/2/2021

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, (DR to IC (VN), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

26/02/21

26/02/21